	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.1.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पार्ट बटवारा रिपोर्ट के सम्बन्ध मे पूर्व से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया. प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न नामान्तरण की छायाप्रति के अनुसार वादी सं 1 गोर्धन सिंह पिता भंवर सिंह की मृत्यु दिनांक 2.10.2021 को हो चुकी है। जिसकी सूचना वकील वादी द्वारा प्रकरण मे आज दिनांक तक नही दी गई है। और ना ही मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही की गई है। वादी सः एक मृतक गोवर्धन सिंह की मृत्यु के तथ्यों को छिपाया जाकर उनके विधिक वारिसान को यथा समय पक्षकार नही बनाया जबकि CPC के ~~प्रावधान~~ प्रावधानो के अनुसार मृत्यु के 90 दिवस के अन्दर ही उनके विधिक वारिसान को प्रकरण मे पक्षकार बनाया जाकर रिकार्ड पर लाया जाना चाहिये था। जबकि दावा पत्रावली मे मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रा॰पत्र॰ आदेश 22 नि॰ 03 जा॰दी॰ का आज दिनांक तक पेश, वादी स॰ 1 मृतक वादी गोवर्धन सिंह कि मृत्यु हुए लगभग तीन वर्ष से अधिक हो चुके है। अत: वादी स॰1 गोवर्धन सिंह पिता भंवर सिंह की मृत्यु होने व उसके विधिक वारिसान को नियत समय मे रिकार्ड पर नही लिये जाने से यह दावा अ॰ धा॰ 53 RTA का अबेट किया जाता है। पत्रावली दावा अबेट होने से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	